

मध्यप्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक १९७ /८।/सीरी/। ४-अठतीस

मोपाल, दिनांक २०.२.१५

प्राप्ति,

श्री आर.एन.कपूर  
अध्यक्ष,  
आर.के.डी.एफ. एजूकेशन सोसायटी,  
२०२, गंगा-जगुला काम्पलेक्स,  
जोन-१ एम.पी.नगर, मोपाल

विषय:- मध्यप्रदेश में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी प्रस्ताव- आर.के.डी.एफ. एजूकेशन सोसायटी, मोपाल (सर्वपल्ली रघुवंश शुनिवर्सिटी आफ ऐब्नोलॉनी एण्ड मेडीसिन, मोपाल)।

संदर्भ:- म.प्र.बिजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का प्रत्र क्रमांक २६४ दिनांक ३०.०१.१४ एवं निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की अनुशंसा दिनांक २२.०१.१४

—०—

मध्यप्रदेश में निजी विश्वविद्यालय छी स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया, नध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की अनुशंसा पत्र क्रमांक २६४ दिनांक ३०.०१.१४ के अनुसार राज्य शासन द्वारा बिजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के आमदी संथाके प्रस्ताव पर आशय-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर जारी करवे का निर्णय लिया गया है कि प्रायोजी निकाय द्वारा गण्डप्रदेश निजी विश्वविद्यालय(स्थापना एवं संचालन) अधिविधम, २००७ में उल्लेखित समस्त शर्तों पर दिए प्रक्रिया का पालन करने की कार्यवाही निर्धारित अवधि गें की जावेगी।

शर्ते विम्बानुसार हैं:-

१. वह-

(क) मुख्य परिसर तथा ऐसे अन्य परिसर जो विनियामक आयोग द्वारा समय-समय पर स्थानस्थोषित विश्वविद्यालय अद्वाव आयोग विविधम, २००३ के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात पिए जाएँ।

- (ख) धारा ११ के उपबंधों के अनुसार विद्यास निधि स्थापित करेगा।  
२. यह स्थापित होने जाने वाले मुख्य परिसर के लिए न्यूनतम १० हेक्टेयर भूमि प्राप्त करेगा और उसके स्थानित संबंधी कागज प्रस्तुत करेगा।  
३. वह प्रशासकीय प्रयोजन तथा शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करने के लिए भवन नियानुसारी रूपमें न्यूनतम २५०० कर्मीहर निभित होने उपलब्ध करायेगा।

१२६ २०१४

पृष्ठा-२

(2)

- (क) निजी विश्वविद्यालय एकात्मक तथा स्ववित्तपोषित होगा ।
- (ख) निजी विश्वविद्यालय की भूमि तथा भवन का उपयोग केवल निजी विश्वविद्यालय के प्रयोजन हेतु किया जाएगा ।
- (ग) निजी विश्वविद्यालय के विगमन के तत्काल पश्चात तथा कक्षाएं प्रारंभ होने के पूर्व प्रत्येक विभाग में या विषयाठिसिस्टीन) में आवश्यक सहयोगी कर्मचारिवृन्द सहित पर्याप्त संरचना में शंकाय सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी ।
- (घ) वह छात्रों के लाभ हेतु विद्यामक निकाय द्वारा अधिकथित मानकों के अनुसार उचित शैक्षणिक तथा स्वस्थ वातावरण को प्रोत्याहित करने हेतु सह-पार्ट्यकम कियाकलाप, जैसे सेमिनार, यादविहार, प्रश्नावली, कार्यक्रम तथा पाठ्येतर कियाकलाप जैसे कीड़ा, खेलकूद, याष्ट्रीय सेवा स्कीम, बैशकल कोडिंग कोर्स आदि, को करेगा ।
- (इ.) वह निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम प्रारंभ करेगा
- (ब) वह ऐसी अन्य शर्तों को पूरी करेगा तथा ऐसी अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा जैसी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनियामक आयोग और विनियामक परिषदों द्वारा, समय-समय पर, विहित की जाए ।
- (च) विद्यामक निकाय द्वारा, समय-समय पर, अधिकथित कार्यक्रम, संकाय, अधोसंचना, सुविधाओं, वित्तीय व्यवहार्यता वी शर्तों को व्यूनतम मापदण्डों में पूर्ण करेगा ।
- (ज) वह स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधि या उपाधिपत्र के मुख्य अध्ययन कार्यक्रम की रचना करेगा जो सुखंगत विनियोगों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या संबंधित कानूनी निकायों के मानकों की पुष्टि करेगा ।
- (झ) वह यास्टिक्षिति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विनियामक परिषदों या विनियामक आयोग के गालाचां, दिशा विरेशों या निर्देशों के अनुसार, यदि कोई हो, प्रवेश प्रक्रिया एवं फीस के क्रियतन को अवधारित करेगा ।
- (झ) उसका नेशनल कॉर्सिल ऑफ एसेसमेंट एण्ड एकेडेमेन द्वारा आवश्यक रूप से निर्धारण तथा प्रत्यायोजन विद्या जाएगा ।
- (झ) निजी विश्वविद्यालय का अध्यापन कर्मचारिवृन्द, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या संबंधित विनियामक परिषद या निकाय द्वारा यथाविहित ज्यूनतम अर्हता रखेगा तथा कर्मचारियून्द वे शमुचित पारिश्रमिक संदर्भ किया जायेगा ।
- (झ) निजी विश्वविद्यालय समर्त व्यक्तियों के लिए, चाहे वह किसी भी लिंग का हो, शुला रहेगा और जाति, पंथ इन तंत्र के अधार पर उसके भेदभाव नहीं किया

जाएगा तथा जिजी विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह धार्मिक विश्वास के आधार पर किसी भी व्यक्ति या, जिजी विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने या उसमें किसी अन्य पद के द्यारण करने या उसे जिजी विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश लिए जाने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग या ग्राहोग करने वाले हक्कार लाने की दृष्टि से किसी भी प्रकार परीक्षण करे या उस पर कोई परीक्षण थोपें।

- (३.) धारा ३५ के उपबंध के अनुसार रांबंधित परिचिनियों तथा अध्यादेशों के शजपत्र में प्रकाशित हो जाने तक प्रवेश तथा कक्षाएं प्रारंभ नहीं होंगे।
- (४) विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निरीक्षण रिपोर्ट यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् याज्ञ सरकार का यह समाचार हो जाता है कि ग्राम्यजी निकाय ने उपरोक्त उपबंधों का पालन कर लिया है तथा उसके प्रस्ताव के आधार पर जिजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा राक्ता है, तो वह अनुसूची के संशोधन करके ऐसे विशिष्ट नाम तथा विवरण सहित, जैसा कि अनुसूची में इस निर्भित विनिर्दिष्ट किया जाए, एक जिजी विश्वविद्यालय स्थापित करेगा।
- (५) ऐसा जिजी विश्वविद्यालय, अनुसूची के संशोधन की तारीख से निर्गत हुआ समझा जाएगा।
- (६) जिजी विश्वविद्यालय अनुसूची में दर्शाए गए ऐसे नाम से एक निर्गमित निकाय होगा जिसका इस अधिकायम के उपबंधों के अध्यादीन रहते हुए शाश्वत् उल्तराधिकार होगा उपर्युक्त नामान्वय नुद्रा होगी, जो सम्पत्ति अर्जित कर सकेगा तथा उसका स्वामित्व होगा, करवर कर सकेगा तथा उस नाम से वाद चला सकेगा तथा उस पर वाद चलाया जा सकेगा।
- (७) ऐसे जिजी विश्वविद्यालय द्वारा या उसके द्वितीय प्रस्तुत संग्रह वाद या अन्य विधिक कार्यवाही में अभियन्त्र वृल्लिसिव द्वारा हस्ताक्षरित तथा गत्यापित किये जाएंगे और ऐसे वाद या कार्यवाहियों में समस्त आदेशिकाएं कुलसिविक को जारी की जाएंगी तथा उस पर तानील की जाएंगी।
५. याज्ञ सरकार से अधिकायम की धारा ६ की उपधारा (२), धारा- ८ (६) एवं ११ (१) ने यथा उपर्युक्त आशय-पत्र प्राप्त होने पर, यदि कोई प्रायोजी निकाय शर्तों को पूरा करना चाहता है तथा आशय-पत्र में यथा उल्तोरित परिवर्तन देता है तो वह हैक्कारी संपत्ति (उपकरनों का अर्जन तथा अंटरण) अधिकायम, १९७० (१९७० का ६) को प्रदान अनुसूची में तत्पादी जये तैल के रूप में विनिर्दिष्ट बैक ने

(4)

पढ़द्वारा दिन के भीतर शाश्चत निष्क्रेप के रूप में पांच करोड़ वर्षीय विज्ञास निष्पि स्थापित करेगा।

6. अधिकारियम की धारा 9(2) के प्रावधान के अनुसार, ऐसा निजी विश्वविद्यालय, अनुसूची के संशोधन की तारीख से निर्गमित हुआ रामदङा जाएगा।
7. घट धारा 9 के में उपर्युक्त प्रक्रिया अपनाए दिना विद्यानान नहाविद्यालय या संस्था को, वह किसी भी जान से जाना जाता हो, जो किसी अन्य विश्वविद्यालय दो किसी विभाग, विद्या शास्त्रा या निजी विश्वविद्यालय की संघटक इकाई के रूप में संबद्ध हो, अधिसूचित नहीं करेगा।
8. वह विद्यामूल आयोग की पूर्व अनुमति के बिना कोई संकाय स्थापित नहीं करेगा।
9. आशय पत्र, इसके जारी होने की तारीख से दो वर्ष की लालाधि के लिए दैथ होगा तथा राज्य सरकार, विनियामक आयोग की सिफारिश पर वैधता की कालावधि को एक दर्द से अनधिक के लिए बढ़ा सकेगी।

परन्तु मध्यप्रदेश विज्ञान विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) छित्री संशोधन अधिनियम, 2013 के प्रवृत्त होने के पूर्व जारी किए गए आशय पत्र की वैधता उपरोक्त अधिकारियम के ग्राहक होने की तारीख से एक वर्ष के लिए होगी।

10. निजी विश्वविद्यालय, उसके निगमन के पश्चात, विनियामक आयोग को किसी अन्य विद्यानान विश्वविद्यालय दो किसी विभाग या विद्या शास्त्रा या निजी विश्वविद्यालय की किसी अन्य संघटक इकाई के रूप में संबद्ध किसी गहाविद्यालय या संस्था को अधिसूचित करने हेतु आपेक्षन प्रस्तुत कर सकेगा।
11. निजी विश्वविद्यालय द्वारा अधिनियम, 2007 एवं छित्री संशोधन अधिनियम, 2013 का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

३१०१२०१४  
(एस.के.शर्मा)

अवर सचिव  
म.प्र.शास्त्र उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

मित्र-४

(5)

पृष्ठ. 198 /71/टीडी/14-अठवीस  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक २०.२.१५

1. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जाफर गार्ड, बई दिल्ली
2. प्रमुख सचिव, भक्तमहिम राज्यपाल, सचिवालय, राजभवन, भोपाल मध्यप्रदेश।
3. विशेष राजायक, मान्मही जी उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय विदेशाक एन.सी.टी.ई. एवं अध्यक्ष/सचिव/एम.सी.आई./डी.ई.सी./ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
5. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
6. अध्यक्ष भ.प्र. निजी विश्वविद्यालय विलियानक आयोग, ज्ञान वाटिका वालमी रोड कोलाह गोड़ भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु देखित। कृपया अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय अधोसंरचना शूमि आदि की आवश्यक शर्तें लियमानुसार पूर्ण करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
7. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा (योजना शाखा), सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल संभाग भोपाल।

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शायान, उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय